[2024] 7 एस.सी.आर. 796 : 2024 आईएनएससी 528

डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच बिहार, पटना

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2017 की दीवानी अपील संख्या 18802)

15 जुलाई 2024

[विक्रम नाथ* और प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

यह मामला राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव की वैधता से संबंधित है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अति पिछड़े वर्गों की सूची में, "तांती-तंतवा" जाति को अनुसूचित जाति सूची में क्रमांक 20 पर उल्लिखित 'पान/स्वासी' जाति के साथ विलय कर दिया जाए ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त हो सकें।

हेडनोट्स[1]

भारत का संविधान – अनुच्छेद 341 – बिहार राज्य में पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम, 1991 – अनुसूचित जाति सूची – "तांती-तंतवा" जाति का 'पान/स्वासी' जाति में विलय – राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पारित संकल्प – अति पिछड़ा वर्ग की सूची में, "तांती-तंतवा" जाति को क्रमांक 20 पर उल्लिखित 'पान/स्वासी' जाति के साथ अनुसूचित जाति सूची में विलय किया जाए ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त हो सकें – वैधता:

अभिनिर्धारित: दिनांक 01.07.2015 का संकल्प अवैध और त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार के पास अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं थी। राज्य सरकार राज्य पिछड़ापन आयोग की सिफारिश पर अति पिछड़े वर्ग की सूची से "तांती-तंतवा" को हटाने में न्यायसंगत हो सकती है, लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि 20 के तहत "तांती-तंतवा" को 'पान, स्वासी, पनर' के साथ विलय करना दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई थी-चाहे पर्यायवाची हों या नहीं, किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या उसके किसी भाग या समूह को शामिल करना या बाहर करना संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही होना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके से-किसी जाति को अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करना है या नहीं, यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। आयोग को किसी भी जाति को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के संबंध में सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और यदि वह ऐसी कोई सिफारिश करता भी है, चाहे वह सही हो या गलत, तो राज्य को उसे लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जबकि राज्य को पूरी तरह से पता था कि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है-अनुच्छेद 341 की उपधारा 1 और 2 के प्रावधान बहुत स्पष्ट और विवेकपूर्ण हैं – इनमें कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं है जिसके लिए किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता हो-बिहार राज्य ने किसी भी कारण से अपने स्वार्थ के लिए इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया – इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को बरकरार रखने में गलती की है। – दिनांक 01.07.2015 का आक्षेपित संकल्प रद्द किया जाता है। – संकल्प के अनुसार अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त करने वाले "तांती-तंतवा" समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में, राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाई गई है-राज्य द्वारा किए गए इस दुराचार के लिए उसे क्षमा नहीं किया जा

सकता। – यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को, जो इस सूची में शामिल नहीं है, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कारणों से ऐसा लाभ दिया जाता है, तो राज्य अनुसूचित जाति के सदस्यों के लाभ को छीन नहीं सकता। – दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर, कानून के तहत ऐसी नियुक्तियाँ अपास्त की जा सकती हैं-हालांकि, गलती राज्य की है, न कि "तांती-तंतवा" समुदाय के किसी व्यक्ति की। इसलिए यह निर्देश जारी किया जाए कि अनुसूचित जाति कोटा के वे पद जो संकल्प के आधार पर लाभ प्राप्त करने वाले "तांती-तंतवा" समुदाय के सदस्यों द्वारा भरे गए थे, उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी को वापस कर दिया जाए और "तांती-तंतवा" समुदाय के ऐसे उम्मीदवारों को राज्य द्वारा उनकी मूल श्रेणी, अत्यंत पिछड़े वर्ग में समायोजित किया जाए।

[कंडिका 36-39, 41, 42]

न्याय दृष्टान्त

महाराष्ट्र राज्य बनाम केशव विश्वनाथ सोनोन **[2020] 11 एससीआर 597 : (2021) 13 एससीसी 336 – संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

बिहार में पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम, 1991; भारत का संविधान; संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002; बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993।

मुख्य शब्दों की सूची

अनुसूचित जाति सूची; "तांती-तंतवा" जाति; 'पान/स्वासी' जाति; "तांती-तंतवा" जाति का 'पान/स्वासी' जाति में विलय; राज्य पिछड़ा आयोग; अति पिछड़ा वर्ग; अनुसूचित जातियों के लाभ; दिनांक 01.07.2015 का संकल्प; दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई; संविधान का अनुच्छेद 341।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2017 की दीवानी अपील संख्या 18802

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 03.04.2017 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दीवानी अपील संख्या 12403 वर्ष 2015 के साथ दीवानी अपील संख्या 7793 वर्ष 2024 के द्वारा

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, दीपक जैन, के.बी. प्रदीप, जसप्रीत औलख, सुश्री अनुष्का सिंह, सुश्री दशमप्रीत कौर, वैभव मनु श्रीवास्तव, सुश्री ट्विंकल गुप्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., रंजीत कुमार, राकेश द्विवेदी, राकेश खन्ना, वी. गिरी, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनीष कुमार, सुयश व्यास, अनिमेष कुमार, नीरज शेखर, निशांत कुमार, सुश्री अपराजिता, आयुष कुमार, अमरेंद्र सिंह, राम बचन चौधरी, श्रीमती क्षमा शर्मा, कार्तिक कुमार, नवीन प्रकाश, राहुल नारंग, राव विश्वजा, हर्षेद सुंदर, निहार धर्माधिकारी, राम शंकर दास, सुश्री लुबना नाज़, जफर खुर्शीद, अमित सिंह चौहान, मोहित कोचर, रजत नायर, श्रीमती स्वाति घिल्डियाल, श्रीमती शिविका मेहरा, श्रीमती शगुन ठाकुर, श्रीमती सात्विका ठाकुर, श्रीमती प्रभाती नायक, अमरीश कुमार, बी एस राजेश अग्रजीत, श्यामल कुमार, राकेश कुमार, सुश्री सुखदीप कौर, बिट्टू कुमार सिंह, सुश्री ज्योति राणा, सत्य

वीर सिंह, सुश्री प्रिया नगर, श्रीमती मीतू गोस्वामी, सिद्धार्थ गोस्वामी, विनय कुमार ओझा, सुश्री राज बाला, रंजन निखिल धरणीधर, अनिलेंद्र पांडे, सुश्री प्रिया कश्यप, राजीव कुमार रंजन, सी. पी. सिंह, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति

1. हस्तक्षेप/पक्षकार बनने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

2. एस.एल.पी. (दीवानी) संख्या 18294/2021 में अनुमति प्रदान की जाती है।

3. ये दोनों अपीलें पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को पारित निर्णय और आदेश की वैधता को चुनौती देती हैं। जिसके द्वारा चार (4) विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं और एक लेटर्स पेटेंट अपील को एक सामान्य निर्णय द्वारा सभी पांच मामलों को खारिज करते हुए निस्तारित किया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं और अपील में 1 जुलाई, 2015 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम, 1991 के तहत प्रकाशित अति पिछड़ा वर्ग की सूची में, क्रम संख्या 33 पर दर्ज जाति **"तांती-तंतवा"** को हटा दिया जाए और उक्त **"तांती-तंतवा"** को अनुसूचित जाति सूची में क्रम संख्या 20 पर उल्लिखित **'पान/स्वासी'** जाति के साथ

मिला दिया जाए ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के लाभ मिल सकें। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 01.07.2015 में निहित प्रस्ताव का क्रियात्मक भाग मूल हिंदी भाषा में नीचे दिया गया है:

> *"अतः राज्य सरकार ने भली-भांति विचारोपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की उपर्युक्त सलाह के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर दर्ज "तांती (ततवा)" जाति को विलोपित कर दिया जाए ताकि तांती (ततवा) को अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशन पर अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके।"*

4. खंडपीठ के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं और लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती उक्त प्रस्ताव के दूसरे भाग को दी गई थी, जिसमें **"तांती-तंतवा"** जाति को अनुसूचित जाति सूची की प्रविष्टि-20, अर्थात् **'पान/स्वासी'** जाति में विलय करने और अनुसूचित जातियों के सभी लाभों को लागू करने का प्रस्ताव था।

5. मुख्य चुनौती इस आधार पर थी कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची में किसी जाति या उपजाति को जोड़ने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति आदेश के तहत सूची प्रकाशित होने के बाद, उसमें कोई भी संशोधन, जोड़, हटाना या परिवर्तन केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उच्च न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाता-बिहार राज्य तथा अन्य निजी उत्तरदाताओं ने यह दलील दी कि दिनांक 01.07.2015 की आक्षेपित अधिसूचना राष्ट्रपति आदेश और उसके अंतर्गत प्रकाशित सूची में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि वास्तव में यह केवल इतना ही है कि **"तांती-तंतवा"** और **'पान/स्वासी'** एक ही हैं, सिवाय इसके कि उन्हें **'पान/स्वासी'** जाति के अंतर्गत एक विशेष उपाधि प्राप्त है और बिहार राज्य में

उन्हें **"तांती-तंतवा"** के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः यह सूची में परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि केवल स्पष्टीकरण का मामला है। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं से बाध्य थी, और इसलिए उसने सही ढंग से **"तांती-तंतवा"** को अति पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जातियों की सूची में **'पान/स्वासी'** की प्रविष्टि-20 में विलय कर दिया था, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी।

6. उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और तदनुसार, दिनांक 03.04.2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं और लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।

7. उच्च न्यायालय का दिनांक 3 अप्रैल, 2017 का यही आदेश वर्तमान दो अपीलों में चुनौती के अधीन है।

8. हमने दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जय सिंह, उत्तरदाता-बिहार राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रणजीत कुमार, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद, श्री राकेश द्विवेदी और श्री वी. गिरि, और भारत संघ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी की दलीलें सुनीं।

9. अब हम उचित और न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेंगे।

   (1) विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों की सूची तैयार करने के संबंध में भारत का संविधान क्या प्रावधान करता है।

(2) राष्ट्रपति आदेश के तहत घोषित सूची में परिवर्तन, संशोधन या बदलाव कैसे किया जा सकता है?

(3) प्रत्येक राज्य के लिए पिछड़े वर्गों के संबंध में संविधान क्या प्रावधान करता है?

(4) 1950 के राष्ट्रपति आदेश में दर्ज प्रविष्टियाँ और संसद द्वारा 1950 के राष्ट्रपति आदेश के तहत प्रकाशित सूची में किए गए बाद के संशोधन।

(5) पिछड़े वर्गों के संबंध में राज्य क्या निर्णय लेता है?

(6) बिहार राज्य और केंद्र सरकार/भारत संघ के बीच पत्राचार।

(7) उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ का रुख।

(8) अपीलकर्ताओं, उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क।

(9) तर्कों का विश्लेषण।

(10) निष्कर्ष।

10. संविधान के अनुच्छेद 366(24) के अंतर्गत "अनुसूचित जातियाँ" परिभाषित हैं। यह इस प्रकार है:

> ***"366(24)".*** *अनुसूचित जातियाँ" से तात्पर्य ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के भागों या समूहों से है जिन्हें अनुच्छेद 341 के अंतर्गत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियाँ माना जाता है।"*

11. अनुच्छेद 341 भारत के राष्ट्रपति को उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके भागों या समूहों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 341 का उपखंड 2 प्रावधान करता है कि

संसद, विधि द्वारा, खंड-1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, नस्ल या जनजाति या उसके किसी भाग या समूह को शामिल या बाहर कर सकती है। यह आगे यह निषेध भी करता है कि, उपर्युक्त के अतिरिक्त, खंड-1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी पश्चात अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 341 इस प्रकार है:

> ***"अनुच्छेद 341.*** *(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और यदि वह राज्य है, तो उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।*
>
> *(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, नस्ल या जनजाति या उसके भाग या समूह को शामिल कर सकती है या उससे बाहर कर सकती है, परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त खंड के अधीन जारी अधिसूचना को किसी पश्चात अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।"*

12. उपरोक्त अनुच्छेद और विशेष रूप से उप-धारा 2 को पढ़ने से दो बातें स्पष्ट होती हैं – पहली, धारा-1 के अंतर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट सूची में संशोधन या परिवर्तन केवल संसद द्वारा निर्मित कानून द्वारा ही किया जा सकता है, और दूसरी, यह प्रतिबंधित करता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून के बिना उप-धारा-1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राष्ट्रपति धारा-1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में कोई संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जातियों का उल्लेख किया गया हो।

13. उपरोक्त अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने से एक और पहलू स्पष्ट होता है कि यह केवल जातियों, नस्लों या जनजातियों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि जातियों, नस्लों या जनजातियों के भागों या समूहों से भी संबंधित है, इसलिए, यदि किसी जाति, नस्ल या जनजाति के समावेशन या अपवर्जन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना है, तो न केवल किसी जाति, नस्ल या जनजाति के संबंध में बल्कि किसी जाति, नस्ल या जनजाति के किसी भाग या समूह के संबंध में भी, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक है।

14. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को सर्वप्रथम 10 अगस्त, 1950 को अधिसूचित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण में 11 अगस्त, 1950 को प्रकाशित किया गया। बिहार राज्य के संबंध में, अनुसूची में निम्नलिखित सूची को "भाग II-बिहार" के रूप में उल्लेख किया गया था:

"1. पूरे राज्य में:

1. बौरी

2. बंतर

3. भोगता

4. चमार

5. चौपाल

6. धोबी

7. डोम

8. दुसाध, धारी या धरही सहित

9. घासी

10. हलालखोर

11. हरि, जिसमें मेहतर भी शामिल है

12. कंजर

13. कुरारियर

14. लालबेगी

15. मोची

16. मुसहर

17. नट

18. पान

19. पासी

20. राजवर

21. तुरी"

15. 'पान जाति' को बिहार राज्य में क्रमांक 18 पर उल्लिखित उपरोक्त अधिसूचना के तहत अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

16. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, जिसे संसद द्वारा 1956 के अधिनियम संख्या 63 के रूप में बिहार राज्य के संबंध में अधिनियमित किया गया था, और क्रमांक 18 पर उल्लिखित जाति '**पान**', जैसा कि मूल रूप से 1950 के आदेश में उल्लिखित था, को 'पान या स्वासी' से प्रतिस्थापित किया गया था।

17. भारत गणराज्य के 20वें वर्ष में संसद द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में, अनुसूची के भाग-III में क्रमांक 20

पर बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित जातियों का उल्लेख किया गया था: **'पान; स्वासी, तांती-तांतवा'**। यह विधेयक संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं हो सका और इसलिए यह निरर्थक हो गया होगा।

18. इसके बाद अगला संशोधन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 था, जिसे भारत गणराज्य के 27 वें वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके अनुसार, बिहार राज्य के संबंध में अनुसूची के भाग-III में प्रविष्टि-20, 1956 के संशोधन के समान ही रही, अर्थात् **'पान, स्वासी'**।

19. भारत गणराज्य के 53 वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा बिहार राज्य के लिए प्रविष्टि 20 को **'पान, स्वासी, पनर'** से प्रतिस्थापित किया गया।

20. संविधान के अनुच्छेद 338-बी में प्रावधान है कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर सकती है।

21. बिहार राज्य विधानमंडल ने पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (राज्य अधिनियम संख्या 12, 1993) अधिनियमित किया और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान किया। उक्त अधिनियम की धारा 9 आयोग के कार्यों को परिभाषित करती है; धारा 10 आयोग की शक्तियों को परिभाषित करती है और धारा 11 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक दस वर्ष में पिछड़ा वर्ग की सूचियों का आवधिक पुनरीक्षण करेगी और ऐसा करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

22. इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य के विधानमंडल ने बिहार अधिनियम पारित किया पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम, 1991 (1992 की अधिनियम संख्या) और उक्त अधिनियम के तहत इसने अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूचियाँ घोषित कीं, जिसमें क्रमांक 33 पर **"तांती-तंतवा"** को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों में से एक के रूप में दर्शाया गया था।

23. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पक्षकार बनने के लिए एक आवेदन दायर किया है और उक्त आवेदन में अपना रुख स्पष्ट किया है, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है और आईए संख्या 100468/2024 के रूप में पंजीकृत है। उक्त आवेदन के कंडिका 8 में कहा गया है कि बिहार सरकार ने पत्र दिनांक 05.08.2011 के माध्यम से अनुसूचित जातियों की सूची में 'पान, स्वासी, पान्र' के पर्यायवाची के रूप में **"तांती-तंतवा"** को शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्य के उक्त प्रस्ताव की भारत के महानिबंधक (संक्षेप में 'महानिबंधक') के परामर्श से निर्धारित तौर-तरीकों के अनुसार जांच की गई, जिन्होंने दिनांक 24.01.2013 की अपनी टिप्पणी में उक्त प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। महानिबंधक की टिप्पणियों को 31.01.2013 को राज्य सरकार को सूचित किया गया ताकि महानिबंधक द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में सिफारिशों की समीक्षा/आगे स्पष्टीकरण किया जा सके। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि इस मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी। इस प्रकार, आज तक **"तांती-तंतवा"** जाति को बिहार राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, और इस प्रकार, इसके सदस्य अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। कंडिका-9 में आगे उल्लेख किया गया है कि विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से संदर्भ प्राप्त हुए थे, साथ ही भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से भी,

यह दर्शाने के लिए कि **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों को, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में क्रमांक 48 पर आते हैं, राज्य सरकार के दिनांक 01.07.2015 के संकल्प के मद्देनजर 'पान, स्वासी, पनर' के नाम से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे।

24. कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और उसके संशोधनों के तहत, **"तांती-तंतवा"** जाति, जो बिहार की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं है, को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सकते। उन्हें बिहार की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 20 पर **'पान, स्वासी, पनर'** मानकर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सकते। मंत्रालय ने 2015, 2016, 2018, 2019 और 2020 में बिहार सरकार को आधे दर्जन से अधिक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि अधिकृत अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए जाएं कि वे **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों को 'पान, स्वासी, पनर' के नाम पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी न करें। कंडिका-11 में कहा गया है कि बिहार सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को सूचित किया कि चूंकि दिनांक 01.07.2015 के संकल्प को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.04.2017 के निर्णय द्वारा इसकी वैधता को बरकरार रखा था, इसलिए **"तांती तांतवा"** के सदस्यों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करना और उन्हें अनुसूचित जाति के लाभों का विस्तार करना कानूनी रूप से अनुमेय था। कंडिका संख्या 13, 14 और 15 दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की वैधता को चुनौती देने में अपीलकर्ताओं के तर्कों

का समर्थन करते हैं। इस प्रकार, भारत संघ ने अपीलकर्ताओं का पूर्ण समर्थन किया है।

<u>अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ।</u>

25. सुश्री इंदिरा जय सिंह ने अनुच्छेद 366(24) और 341 में निहित संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि दिनांक 01.07.2015 की आक्षेपित अधिसूचना/संकल्प मान्य नहीं है और इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के पास अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित सूचियों में **'तांती-तंतवा'** को शामिल करने का निर्देश देने का कोई अधिकार या शक्ति नहीं थी। उनके अनुसार, अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की निर्दिष्ट सूचियों में कोई भी संशोधन या परिवर्तन केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित सूचियों में छेड़छाड़ करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है।

26. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य को पूरी तरह से पता था कि सूची में संशोधन करने का उसे कोई अधिकार या क्षमता नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में **'पान, स्वासी, पनर'** के साथ **'तांती-तंतवा'** को प्रविष्टि-20 में शामिल करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में किया गया यह अनुरोध जनवरी 2013 में महानिबंधक द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया गया था और इसकी सूचना 31.01.2013 के पत्र द्वारा राज्य को दी गई थी। उक्त पत्र में यह भी अनुरोध किया गया था कि राज्य अनुसूचित जातियों की सूची में **'तांती-तंतवा'** को शामिल करने के अपने अनुरोध की समीक्षा करे और उसके

समर्थन में और अधिक औचित्य प्रदान करे। राज्य ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूरी तरह से *दुर्भावनापूर्ण* तरीके से, अवैध रूप से **"तांती-तंतवा"** जातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, दिनांक 01.07.2015 को अधिसूचना जारी की, जिसके तहत **"तांती-तंतवा"** जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया और उन्हें सभी लाभ दिए गए। राज्य को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने **"तांती-तंतवा"** को अनुसूचित जातियों की सूची में **'पान, स्वासी, पनर'** के साथ विलय करने का निर्देश क्यों दिया।

27. सुश्री जय सिंह का यह भी निवेदन है कि दिनांक 01.07.2015 की अधिसूचना को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसका पहला भाग, जिसमें 1992 के अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से **"तांती-तंतवा"** को हटाना/निकालना शामिल है, बरकरार रहे और केवल दूसरा भाग, जिसमें बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति सूची की प्रविष्टि-20 में **"तांती-तंतवा"** को **'पान, स्वासी पनर'** में विलय करने का निर्देश दिया गया है, अभिखंडित कर दिया जाए। उनके अनुसार, यदि आक्षेपित अधिसूचना को आंशिक रूप से अभिखंडित और आंशिक रूप से बरकरार रखा जाता है, तो **"तांती-तंतवा"** जाति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और वह न तो अत्यंत पिछड़े वर्ग के रूप में और न ही अनुसूचित जाति के रूप में किसी आरक्षण या लाभ की हकदार होगी। अतः उन्होंने निवेदन किया कि आक्षेपित अधिसूचना अविभाज्य है और इसे समग्र रूप से अभिखंडित किया जाना चाहिए।

28. उन्होंने आगे कहा है कि बिहार राज्य और हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा **"तांती-तंतवा"** जाति के सदस्यों को इस अवधि के दौरान पहले से दिए गए लाभों को जारी रखने का

अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, राज्य द्वारा 01.07.2015 की अधिसूचना जारी करना स्पष्ट रूप से *दुर्भावनापूर्ण* और जानबूझकर की गई शरारत थी। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करना, राज्य सरकार की अपनी गलती सुधारने की बजाय मनमानी से प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें अनुसूचित जाति मानने की अवहेलना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

29. ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने और अनुसूचित जाति के लाभों को बढ़ाने की प्रक्रिया में, राज्य ने अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित सूचियों में शामिल अनुसूचित जाति समुदाय के वास्तविक सदस्यों को वंचित कर दिया है, जिन्हें अनुसूचित जाति समुदाय को वापस दिया जाना चाहिए। उन्होंने आशीष राजक द्वारा दायर अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2021 को पारित एक आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी नियुक्तियां इन कार्यवाही के परिणाम के अधीन हैं।

30. उन्होंने आगे निवेदन किया कि बिहार राज्य द्वारा **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों को अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत उपलब्ध लाभ दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ऐसे **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों को, जिन्होंने राज्य के पूर्णतः अवैध और दुर्भावनापूर्ण कार्य से लाभ उठाया है, दिनांक 01.07.2015 के संकल्प का लाभ उठाते हुए अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

31. उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि राज्य ऐसे अवैध नियुक्तियों के लाभार्थियों से कोई वसूली न करे और ऐसे उम्मीदवारों

को अति पिछड़ा वर्ग कोटा/आरक्षण के अंतर्गत समायोजित करे, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिन्हें अधिसूचित जातियों के लाभ के लिए तत्काल अनुसूचित जातियों को वापस कर दिया जाना चाहिए।

32. दूसरी ओर, बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रणजीत कुमार ने दिनांक 01.07.2015 के प्रस्ताव को यह तर्क देकर उचित ठहराने का प्रयास किया कि प्रस्ताव केवल स्पष्टीकरण मात्र है और इससे अधिक कुछ नहीं; कि विवाद से संबंधित वैधानिक और सामाजिक-ऐतिहासिक कारक यह उचित ठहराते हैं कि **"तांती-तंतवा"** को **'पान, स्वासी'** का पर्यायवाची माना जाए। राज्य ने केवल राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग की दिनांक 02.02.2015 की सिफारिश पर कार्रवाई की है, इसलिए राज्य के प्रस्ताव में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। उन्होंने आगे आयोग द्वारा सिफारिश करते समय विचार किए गए निम्नलिखित सामाजिक-ऐतिहासिक कारकों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया:

"ए. कार्मिक विभाग, पिछड़ा आयोग की पहली प्रतिवेदन के अध्याय 11, कंडिका 11.3 में, पान को तांती के रूप में उल्लेख किया गया है।

बी. बिहार विधानमंडल की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी 1978-80 की 10वीं प्रतिवेदन में, समिति ने मुंगेरी लाल आयोग की प्रतिवेदन को स्वीकार किया, जिसमें यह बताया गया था कि जिन्हें तांती कहा जाता है वे वास्तव में पान हैं और इसलिए अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले लाभों के हकदार हैं।

सी. 1967 में संसद में एक विधेयक रखा गया था, जिसमें बिहार राज्य के संदर्भ में यह प्रस्ताव रखा गया था कि पान/स्वासी/तांती/तंतवा को बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन संसद ने इसे स्वीकार नहीं किया।

डी. काका कालेकर पिछड़ा आयोग की प्रतिवेदन में राज्य को यह सिफारिश की गई थी कि तांती/तंतवा जाति को पान में शामिल किया जाए।

ई. झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने पत्र संख्या 1107 दिनांक 01.03.2004 के माध्यम से झारखंड जनजातीय कल्याण एवं अनुसंधान संस्थान की प्रतिवेदन के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया कि तांती/तंतवा और पान एक ही जाति हैं और इसलिए उन्हें पान/स्वासी का पर्यायवाची माना जाना चाहिए।

एफ. एच.एच. रिजली की पुस्तक "बंगाल की जनजातियाँ और जातियाँ" के पृष्ठ 155 पर यह उल्लेख किया गया है कि पान/स्वासी और तांती समानार्थी हैं और बुनकर समुदाय से आते हैं।

जी. इन जातियों के बीच समानता की पुष्टि ए.एन. सिन्हा संस्थान, पटना द्वारा तैयार की गई नृजातीय प्रतिवेदन से भी हुई।

एच. इन जातियों की सामाजिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक समान हैं, और इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करना सामान्य प्रथा है।

आई. केंद्र सरकार की प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार का निष्कर्ष मिलता है।

जे. राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जो अब एक संवैधानिक निकाय है, ने भी तांती/तंतवा को पिछड़े वर्गों की सूची से हटाने की सिफारिश की है क्योंकि वे पान/स्वासी के समानार्थी हैं।"

33. उनका आगे यह निवेदन है कि राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश राज्य पर बाध्यकारी है और ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा केवल अत्यधिक विकृति या अन्यथा के मामले में ही अनुमेय हो सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 29.03.2022 को **"तांती-तंतवा"** को **'पान, स्वासी'** के पर्यायवाची के रूप में मानने संबंधी सिफारिश का भी उल्लेख किया। अंत में, यह निवेदन किया गया कि यदि यह न्यायालय अपीलकर्ताओं के निवेदनों से सहमत होकर 01.07.2015 के संकल्प को अभिखंडित करने का निर्णय लेता है, तो न्याय और सद्भावना के सिद्धांतों के आधार पर अनुसूचित जाति के रूप में **"तांती-तंतवा"** जाति के सदस्यों को पहले से प्राप्त लाभ/अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। इस संबंध में **महाराष्ट्र राज्य बनाम**

केशव विश्वनाथ सोनोन[1] मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर अवलंबन किया। विशेष रूप से, तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ वाले उक्त निर्णय के कंडिका 115 और 116 पर भरोसा किया गया था।

34. अंत में, यह निवेदन किया गया कि चूंकि यह मामला अभी भी भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 29.03.2022 की सिफारिशों के आधार पर, इसलिए भारत सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय ले और इस बीच, वर्तमान अपीलों को लंबित रखा जाए।

35. जहां तक निजी उत्तरदाताओं और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं का संबंध है, उनका निवेदन श्री रणजीत कुमार के निवेदन के समान और समर्थन में है कि **"तांती-तंतवा"** समुदाय के वे सभी सदस्य, जिन्होंने 01.07.2015 के संकल्प के अनुसार जारी प्रमाण पत्रों के तहत अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त किया है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उन्हें निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांतों के आधार पर संरक्षित किया जाए।

36. प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि दिनांक 01.07.2015 का संकल्प स्पष्ट रूप से अवैध और त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में बदलाव करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं थी। उत्तरदाता-राज्य का यह तर्क कि दिनांक 01.07.2015 का संकल्प केवल स्पष्टीकरणात्मक था, क्षण भर के लिए भी विचार करने योग्य नहीं है और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। चाहे यह अनुसूचित जातियों की सूचियों की प्रविष्टि-20 का पर्यायवाची

---

1 (2020) 11 एससीआर 597 : (2021) 13 एससीसी 336

हो या अभिन्न अंग, इसे संसद द्वारा कोई कानून बनाए बिना नहीं जोड़ा जा सकता था। राज्य सरकार भली-भांति जानती थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और तदनुसार उसने वर्ष 2011 में भारत संघ को अपना अनुरोध भेजा था। उक्त अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और आगे की टिप्पणियों/स्पष्टीकरण/समीक्षा के लिए वापस भेज दिया गया। इसकी अनदेखी करते हुए, राज्य सरकार ने दिनांक 01.07.2015 का परिपत्र जारी किया। राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर **"तांती-तंतवा"** को अति पिछड़े वर्गों की सूची से हटाना उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि 20 के अंतर्गत **"तांती-तंतवा"** को **'पान, स्वासी, पनर'** के साथ मिलाना, चाहे उस समय राज्य सरकार ने इसके लिए कोई भी अच्छा, बुरा या उदासीन कारण क्यों न सोचा हो, सरासर *दुर्भावनापूर्ण* कृत्य था। चाहे वे पर्यायवाची हों या नहीं, किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या उसके किसी भाग या समूह को शामिल करना या बाहर करना संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके से।

37. यह तर्क कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश राज्य पर बाध्यकारी थी, यहाँ विचारणीय प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि हम इस तर्क को स्वीकार भी कर लें, तो भी ऐसी सिफारिश केवल अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो सकती है। किसी जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करना है या नहीं, यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनुसूचित जाति सूची में किसी जाति को शामिल करने के संबंध में सिफारिश करने का आयोग को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यदि वह ऐसी सिफारिश करता भी है, चाहे वह सही हो या गलत, तो राज्य को उसे लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वह पूरी तरह से अवगत था कि संविधान इसकी

अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 341 के उपखंड 1 और उपखंड 2 के प्रावधान बहुत स्पष्ट और विवेकपूर्ण हैं। इनमें कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं है जिसके लिए इसमें उल्लिखित व्याख्या के अलावा किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता हो। बिहार राज्य ने अपने स्वार्थ के लिए किसी कारणवश इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

38. उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लेख किए बिना, पूरी तरह से गलत आधार पर उक्त अधिसूचना को बरकरार रखने में गंभीर त्रुटि की है।

39. अब सवाल उठता है कि 01.07.2015 के संकल्प के अनुसार अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त करने वाले **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा कैसे की जाए। वर्तमान मामले में, राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के परे पाई गई है। राज्य को उसके द्वारा किए गए इस दुराचार के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों के सदस्यों को इस लाभ से वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है। यदि कोई व्यक्ति, जो योग्य नहीं है और ऐसी सूची में शामिल नहीं है, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कारणों से राज्य द्वारा इस तरह का लाभ दिया जाता है, तो राज्य अनुसूचित जातियों के सदस्यों का लाभ नहीं छीन सकता। दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर, कानून के तहत ऐसी नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है। हालांकि, हमने राज्य के आचरण में त्रुटि पाई है, न कि **"तांती-तंतवा"** समुदाय के किसी व्यक्तिगत सदस्य में, इसलिए हम यह निर्देश नहीं देना चाहते कि उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं या अवैध नियुक्तियों के लिए वसूली की जाए या अन्य लाभों को वापस लिया जाए। हमारा मत है कि दिनांक 01.07.2015 के संकल्प के बाद नियुक्त **"तांती-तंतवा"** समुदाय के

सदस्यों को दिए गए अनुसूचित जाति आरक्षित कोटे के सभी पद अनुसूचित जाति कोटे में वापस कर दिए जाएं और **"तांती-तंतवा"** समुदाय के ऐसे सभी सदस्यों को, जिन्हें यह लाभ दिया गया है, उनकी मूल श्रेणी यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग में समायोजित किया जाए, जिसके लिए राज्य उचित उपाय कर सकता है।

40. तदनुसार, अपीलें सफल होती हैं और स्वीकार की जाती हैं।

41. दिनांक 01.07.2015 का आक्षेपित संकल्प एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

42. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति कोटा के वे पद जो दिनांक 01.07.2015 के संकल्प के आधार पर लाभ प्राप्त करने वाले **"तांती-तंतवा"** समुदाय के सदस्यों द्वारा भरे गए थे, अनुसूचित जाति श्रेणी को वापस कर दिए जाएं और **"तांती-तंतवा"** समुदाय के ऐसे उम्मीदवारों को राज्य द्वारा उचित उपाय करके उनकी मूल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग में समायोजित किया जाए।

43. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए गए।

मामले का परिणाम: अपीलें अनुमत।

हेडनोट बनाया गया: निधि जैन